प्रेस नोट दिनांक 10-09-2020 थाना बासगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी एक नफर चोर व बरामदगी तीस कुन्टल प्रतिबन्धित हरे महुआ की लकड़ी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्री नितेश सिंह के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री जगत नरायण सिंह के निकट मार्गदर्शन में दिनांक 9.9.2020 को उ0नि0 जयराम सिंह मय हमराह कर्मचारीयो के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र कस्बा माल्हनपार मे मौजूद थे। कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम टिकरिया में महुआ की हरी लकड़ी बाजार मे बेचने के उद्देश्य से कटवा रहा है। मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस वाले मौके पर पहुचे देखा कि ग्राम टिकरिया के उत्तर काली चरण हरिजन के हरे महुआ के पेड़ से लकड़ी काटकर गिराई जा रही है। हम पुलिस वालो को देखते ही लकड़ी काटने वाले भाग गये। मौके से एक व्यक्ति पकड़ा गया। जिसका नाम पता पूछा गया तो अपना अलिमुद्दीन पुत्र स्व0 नबी मुहम्मद ग्राम इमलीडीह थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर जिससे प्रतिबन्धित हरी लकड़ी का पेड़ काटने सम्बन्ध मे अधिकार पत्र मांगा गया तो नही दिखा सका। पकडे गये व्यक्ति अलिमुद्दीन उपरोक्त का जुर्म धारा 379/411 भादवि0 व 36ख वन अधिनियम का आरोप बताते हुए अभियुक्त को दिनांक 09.09.2020 को समय करीब 14.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 614/2020 धारा 379/411 भादवि0 व 36ख वन अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

नाम पता अपराधी-

अलिमुद्दीन पुत्र स्व0 नबी मुहम्मद ग्राम इमलीडीह थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 09.09.2020 को समय करीब 14.00 बजे गिरफ्तारी का स्थान –ग्राम टिकरिया

बरामदगी-

तीस कुन्टल हरे महुआ की लकड़ी

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1.उ0नि0 जयराम सिंह

2.का0 अरविन्द यादव

3. का0 चन्दन पासवान